न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
60 / 2024 / प्रा.पत्र / 2024	20.08.2024	24.10..2024

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री नरेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मुन्नालाल अग्रवाल निवासी जैन मोहल्ला दूनी जिला टोंक विकता / अकाउन्टेंट मैसर्स महिला मैत्री डेयरी एग्रो प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड सरोली रोड दूनी जिला टोंक। पिनकोड–304802 मोबाईल नं0 9784442250
2–श्री सुकेश धाकड़ पुत्र श्री जगदीश धाकड निवासी केयर ऑफ कपिल जैन पुत्र श्री भागचन्द जैन सरोली रोड दूनी जिला टोंक राज0 डेयरी सचिव मैसर्स महिला मैत्री डेयरी एग्रो प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड सरोली रोड दूनी जिला टोंक। पिनकोड–304802
3–मैसर्स महिला मैत्री डेयरी एग्रो प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड सरोली रोड दूनी जिला टोंक। पिनकोड–304802

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी श्री नरेश कुमार अग्रवाल उपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 24.10.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 22.03.2024 को समय 12:00 पी.एम. पर मैसर्स महिला मैत्री डेयरी एग्रो प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड सरोली रोड दूनी जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विकता के हैसियत से श्री नरेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मुन्नालाल अग्रवाल अपने प्रतिष्ठान मैसर्स महिला मैत्री डेयरी एग्रो प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड सरोली रोड दूनी जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ दूध का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री नरेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मुन्नालाल अग्रवाल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री नरेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मुन्नालाल अग्रवाल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विकता / अकाउन्टेंट होना स्वीकार किया तथा मौक पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाकर श्री सुरेश धाकड़ पुत्र श्री जगदीश धाकड़ को उक्त फर्म का सचिव होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु बीएमसी में लगभग 150 लीटर पैकेट **मिक्सड मिल्क** रखा हुआ

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री नरेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मुन्नालाल अग्रवाल को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री नरेश कुमार अग्रवाल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **मिक्सड मिल्क** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, बीएमसी में रखे लगभग 150 लीटर **मिक्सड मिल्क** में से अच्छी तहर हिला–मिलाकर पूर्णतया होमोजिनियस कर प्लास्टिक की बाल्टी में कुल 2 लीटर **मिक्सड मिल्क** वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 लीटर **मिक्सड मिल्क** को प्लास्टिक की साफ व सूखी 4 शिश्यिों में प्रत्येक शिशी में 500–500 एम.एल. **मिक्सड मिल्क** प्रत्येक शिशी में बतौर परिरक्षित 40 प्रतिशत वाली फार्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर अच्छी तरह हिला–मिलाकर बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाय प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–4015 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4015 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/453 दिनांक 16.04.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/1086/एक्ट/2024/1171 दिनांक 03.04.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया **मिक्सड मिल्क** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री नरेश कुमार अग्रवाल उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त दूध में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। उक्त दूध में कोई बाह्य पद्रार्थ नहीं मिलाया गया है। मात्र फैट कम होने की वजह से उक्त नमूना अवमानक स्तर का होना पाया गया है। यह मानव उपयोग के लिए

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **मिक्सड मिल्क** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **मिक्सड मिल्क** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 24.10.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
न्यायिक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0